



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 364]
No. 364]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 7, 2004/चैत्र 18, 1926
NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 7, 2004/CHAITRA 18, 1926

ऊर्जा मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2004

का.आ. 478(अ).—केन्द्रीय सरकार, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 110 और धारा 112 की उपधारा (2) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के अधीन अधिसूचना की तारीख से न्यायनिर्णयन अधिकारी या समुचित आयोग के आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई के लिए विद्युत अपील अधिकरण के नाम से ज्ञात एक अपील अधिकरण की स्थापना करती है। अपील अधिकरण का मुख्यालय दिल्ली में होगा।

[फा. सं. 46/2/2003-आर एण्ड आर]

गिरीश भा. प्रधान, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th April, 2004

S.O. 478(E).—In exercise of the powers conferred by Section 110 and clause (c) of Sub-section 2 of Section 112 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), the Central Government hereby establishes an Appellate Tribunal to be known as the Appellate Tribunal for Electricity to hear appeals against the orders of the adjudicating officer or Appropriate Commission under the said Act with effect from the date of notification. The headquarters of the Appellate Tribunal shall be at Delhi.

[F. No. 46/2/2003-R&R]

GIREESH B. PRADHAN, Jt. Secy.